रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06042021-226381
CG-DL-W-06042021-226381

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 28 - अप्रैल 3, 2021, शनिवार/ चैत्र 7 - चैत्र 13, 1943
No. 13] NEW DELHI, MARCH 28 - APRIL 3, 2021, SATURDAY/ CHAITRA 7 -CHAITRA 13, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सा.का.नि. 44 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (वर्ग 'ग' के पद) भर्ती नियमावली, 1980 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अधीक्षक	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (रु. 35400 - 112400)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (रु. 25500-81100) में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक या उच्च श्रेणी लिपिक - सह - कंप्यूटर जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण किया हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या दिल्ली अथवा नई दिल्ली में स्थित निदेशालय के किसी अन्य संस्थान से उपनिदेशक – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए), जिसमे निम्नलिखित होंगे :-** 1. संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या दिल्ली अथवा नई दिल्ली में स्थित निदेशालय के किसी अन्य संस्थान से उपनिदेशक – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.-1-39/2018 (प्रशा.I)]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 26th March, 2021

G.S.R. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent in the National Vector Borne Disease Control Programme, under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Superintendent (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3**.** **Method of Recruitment, age-limit, qualification etc.**—he method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superintendent	02 *(2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Ministerial	Level 6 in the pay matrix (Rs 35400-112400)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed, if any, for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerk or Upper Division Clerk-cum-Computer in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)with ten years regular service in the grade and having two to four weeks mandatory training in the	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne Disease Control Programme - Chairman; 2. Deputy Director from the Directorate	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

relevant field. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	General of Health Services or any other institute of the Directorate located in Delhi or New Delhi - Member; 3. Administrative Officer, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne Disease Control Programme - Chairman; 2. Deputy Director from the Directorate General of Health Services or any other institute of the Directorate located in Delhi or New Delhi - Member; 3. Administrative Officer, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme - Member.	

[F. No. 1-39/2018-Admn.I]

SHORAN SINGH, Under Secy.

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021

सा. का. नि. 45 .—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शिक्षा एवं युवा सेवाएं मंत्रालय (विशेष अधिकारी पुस्तक प्रोत्साहन) भर्ती नियम, 1970 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने के लिए लोप किया गया है, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में विशेष अधिकारी (पुस्तक संवर्धन) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), विशेष अधिकारी (पुस्तक संवर्धन) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—इनसे संबंधित पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि.**—उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **निर्रहता.**—कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष अधिकारी (पुस्तक संवर्धन)	01* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या प्रोन्नति प्राप्त व्यक्तियों के संबंध में सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं लागू हैं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति,चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद पर हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

समतुल्य स्तर -10 (56100-177500) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता रखते हों: - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि,जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

[फा.सं. ए-44011/26/2014—ई.I]

रत्नेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 25th February, 2021

G.S.R. 45 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Education and Youth Services (Special Officer Book Promotion) Recruitment Rules, 1970, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Special Officer (Book Promotion) in the Ministry of Education (Department of Higher Education), namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1)These rules may be called the Ministry of Education (Department of Higher Education), Special Officer (Book Promotion) Recruitment Rules, 2020.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special Officer (Book Promotion)	01 *(2020) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 (Rs.67700-208700)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short- term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption, to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation, public sector undertakings or Universities or recognised research institutes,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) **possessing the following educational qualification : -** Degree in Information Technology or Master of Computer Application or Bachelor of Technology in Computer Science or Electronics from a recognised university or institute. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications**.**		

[F. No. A-44011/26/2014--E.I]

RATNESH KUMAR GUPTA, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सा.का.नि. 46 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भंडार अधीक्षक, समुह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भंडार अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, भंडार अधीक्षक, भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदो की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वें होगी जो **उक्त** अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की सविंदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की सविंदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भंडार अधीक्षक	7* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-06 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिविक्षा की अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्धारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रन्नोति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	12	13
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) के स्तर 4 में ऐसा भण्डारी जिसने केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तर 3 (21700-69100 रु.) में राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण संस्थान रायपुर या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर से सामग्री संभलाई या भंडार का रख-रखाव और भंडारों का लेखांकन पर दो सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो। **टिप्पणी** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो , वहा उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध मे विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1 निदेशक(प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -अध्यक्ष 2 इंजिनियरी स्थापना, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का समूह 'क' का अधिकारी - सदस्य 3 केन्द्रीय सरकार के विभाग से समूह 'क' -सदस्य	लागू नही होता । संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

इनमे से जो भी कम हो ,कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी मे प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान के अधिकारी अ (i) मूल संवर्ग या नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हो; या (ii) मुल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 05 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष सेवा की हो, और (आ) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हो: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्यक या सांख्यिकी या कारोबार अध्ययन या लोकप्रशासन के साथ मास्टर डिग्री (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानुनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान के भंडार या सबंद्ध में संभालने भंडारो और लेखा पालनों मे एक वर्ष अनुभव हो; या (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विषय के रुप में अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यकि या कारबार अध्ययन या लोकप्रशासन में स्नातक डिग्री (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में सामाग्री प्रबंधन या भंडारण प्रबंधन या खरीद या संभार- तंत्र या लोक उपासन मे डिप्लोमा (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी या स्वायत्ता संगठन या पब्लिक सेक्टर		

उपक्रम या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से भंडार या संबध में संभालने में भंडार लेखा पालन मे दो वर्ष अनुभव हो **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे , विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि , जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि हैं साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा.सं. ए. 31012/04/2017- सी.जी.डब्ल्यू.बी]

अक्षय कुमार साहु, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 26th March, 2021

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Store Superintendent, Group 'B' Post, recruitment Rules 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Store Superintendent** in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, **Store Superintendent**, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No persons:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Store Superintendent	7* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-ministerial, non-Gazetted, Group'B'	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Selection Post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion failing which deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion / deputation/absorption grade from which promotion/deputation/ absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Store Keeper in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in Central Ground Water Board with ten years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training on material handling, Storekeeping and stores accounting Level-3 (Rs. 21700-69100), from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other National level recognised	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1.Director (Administration), Central Ground Water Board, -Chairman, 2.Group 'A' officer of Engineering Establishment, Central Ground Water Board -Member, 3.A Group-A from another Central Government Department - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. **Deputation (Including short term contract):** Officers of Central Government or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution. ((A) (i) holding analogous posts in the parent cadre or department on regular basis; or (ii) with six years services in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing following educational qualifications and experience: (i) Masters degree with Economics or Commerce or Statistics or Business studies or Public Admn. from a recognised University or Institute. (ii) One year experience in handling stores and keeping accounts in a store or in a concern of Central or State govt. or Union Territory Admn. Or Statutory or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised research institution OR (i)Bachelors degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Admin. as a subject from a recognised University or Institute. (ii) Diploma in Material Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from a recognised University or Institute. (iii) Two years experience in handling		

stores and keeping account in a store or in a concern of Central Government or State Government or Union Territory Admn. or Statutory or Autnomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised research institution. **Note 1:** The departmental officials in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (Including short term contract) including the period of another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.		

[F.No.A.31012/04/2017-CGWB]

A.K. SAHOO, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.06 18:04:33 +05'30'